request-79

प्रेषक,

श्याम शंकर तिवारी,
जिला न्यायाधीश,
रामपुर ।

सेवा में,

महा–निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांकः 176/18 दिनांकः अक्टूबर 25, 2008

विषयः श्री पवन कुमार शुक्ला का प्रशिक्षण यात्रा भत्ता के कालातीत देयक को प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 274/9 दिनांक 22–4–2008 के द्वारा श्री पवन कुमार शुक्ला, अपर सिविल जज (क0ख0), रामपुर का दिनांक 22.6.06 से 8.8.06 का जे0टी0आर0आई0 लखनऊ में किये गये प्रशिक्षण से सम्बन्धित यात्रा भत्ता बिल अंकन रू0 7516–00, जो श्री शुक्ला द्वारा देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण कालातीत हो गया था, आपको प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त बिल प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री पवन कुमार शुक्ला का उक्त बिल आवश्यक कार्यबाही उपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें ।

भवदीय,

25/10/08

(श्याम शंकर तिवारी)
जिला न्यायाधीश,
रामपुर।

Reg(B)
Without Encl
JR(A/C)
W.O. Encl

14 NOV 2008

Registrar (Budget)
I/c Registrar General
15.11.08

J.R.(M)
Regr(B)
15.11.08

6 NOV 2008
PS TO RG
12-11-08

S.O. Admin H/A
A. Shankar
I/C J.R.(M)
24-11-08

JR(M)
Necessary action has already been taken in the matter through court's letter dated 03-11-08 and communicated to Rampur. No action is required. May file?
PK Srivastava
28-11-08

File
02.12.08

OCC request-79

By Registered post

To

The District Judge

Rampur

22

No 13803 / IV. 3264 / Admin A dated 3-11-08

Subject - Regarding preaudit of T.A bill amounting to Rs 7516 200 of Sri Pawan Kumar Shukla, ~~Addl Dis~~ Civil Judge (Junior Division) Rampur consequent upon journey from Rampur to Lucknow and back for the training period with effect from 22.6.06 to 8.8.2006 in J.T.R.I Lucknow

Sir

With reference to your letter No. 274/ IX dated 22.4.08 forwarding therewith T.A bill of Sri Pawan Kumar Shukla, ~~Ram~~ Addl Civil Judge (Junior Division) Rampur, on the above subject, I am directed to return herewith aforesaid T.A bill of Sri Pawan Kumar Shukla. Addl Civil Judge (Junior Division) Rampur and to say that the Court has been pleased to order that T.A bill of Sri Pawan Kumar Shukla cannot be entertained under the rule as he has not submitted his claim within stipulated period i.e one year from the date of its becoming due. Sri Shukla may kindly be informed accordingly.

JR(D), may kindly see the order of learned Registrar General dt. 15.9.08 and issue the draft

P.K. Srivastava
20.9.08

[signature]
20-9-08

Yours faithfully

[signature]

Jt Registrar
22.9.08

Encl - T.A bill of Sri Shukla

22

No 13804 / IV - 3264 / Admin A dated 3-11-08

Copy forwarded to Sri Pawan Kumar Shukla. Addl Civil Judge. (Junior Division) Rampur for information

[signature]

Jt Registrar
22.9.08

request-79

पंजीकृत

प्रेषक,

श्याम शंकर तिवारी,
जिला न्यायाधीश,
रामपुर ।

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

पत्रांकः 274/IX   दिनांकः अप्रैल 22, 2008

विषयः श्री पवन कुमार शुक्ला का प्रशिक्षण यात्रा भत्ता के कालातीत देयक को प्रतिहस्ताक्षरित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री पवन कुमार शुक्ला, अपर सिविल जज (क0ख0), रामपुर द्वारा दिनांक 22.6.2006 से 8.8.2006 तक का जे0टी0आर0आई0, लखनऊ में किये गये प्रशिक्षण का यात्रा भत्ता बिल अंकन रू0 7516–00 कार्यालय में दिनांक 13.3.2008 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे तत्कालीन जिला जज द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त रामपुर कोषागार द्वारा दि0 17.3.2008 देयक के कालातीत होने की आपत्ति लगाई गई है। इस बिल के भुगतान हेतु इसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है ।

अतः बिल मूल रूप में संलग्न करते हुए अनुरोध है कि माननीय न्यायालय से प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त बिल इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(श्याम शंकर तिवारी) 22/4/08
जिला न्यायाधीश,
रामपुर ।

25 APR 2008

29 APR 2008

Encl -②

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 16:08:17 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad